"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2019 — फाल्गुन 28, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 8 मार्च 2019

### अधिसूचना

क्रमांक 2583/520/21-ब/छ. ग./19. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 11-क(2) में, खण्ड (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को देय पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत होगा, जो अनुसूची 2(दो) और 3(तीन) के अनुसार होगा :

परन्तु यह कि पेंशन के पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण के समय विद्यमान पेंशन का निम्नानुसार पहले समेकन किया जायेगा-

(एक) दिनांक 1-1-2006 के विद्यमान पेंशन

(दो ) दिनांक 1-1-2006 को महंगाई पेंशन

(तीन ) दिनांक 1-1-2006 को विद्यमान मूल पेंशन और महंगाई पेंशन विद्यमान दर से महंगाई राहत :

परन्तु यह और कि वे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को जो दिनांक 01 नवम्बर, 2000 के पश्चात् तथा 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने के कारण सेवा में नहीं रहे हैं और उनकी वह पेंशन, जो उक्त नियम के अनुसार पुनरीक्षित की गई है,

दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी.

(2) पुनरीक्षित पेंशन, खण्ड (1) में उल्लिखित अनुसार पुनरीक्षण वेतन का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा उपरोक्तानुसार निर्धारित समेकित पेंशन, जो भी अधिक हो, होगा :

परन्तु यह कि ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01 नवम्बर, 2000 के पश्चात् तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे और जिनकी पेंशन, उक्त नियम के अनुसार पुनरीक्षित की गई है, के संबंध में पारिवारिक पेंशनरों के मामले में पूर्ण परिवार पेंशन को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित किया जाएगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी.

No. 2583/520/XXI-B/C. G./19.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Judicial Service Pay Revision, Pension and Other Retirement Benefits Rules, 2003, namely :-

AMENDMENT

1. In rule 11-A(2), for clause (1) and (2), the following shall substituted, namely :-

"(1) The revised pension of the retired Judicial Officer should be 50% of the minimum pay of the revised pay scale of the post held by him at the time of the retirement, which shall be as Schedule 2 and 3:

Provided that at the time of revision and re-fixation, the existing pension shall be consolidated first as follows :-

(i) Existing pension as on 1-1-2006

(ii) Dearness pension as on 1-1-2006

(iii) Dearness relief at prevalent rate on both the existing basic pension and Dearness pension as on 1-1-2006

Provided further that the Judicial Officers, who have ceased to be in service due to death or retirement after 1st November, 2000 and prior to 1st January, 2006, their pension, which has been revised in accordance with the said rules, shall be revised by raising the same by 03.07 times w.e.f. 1st January, 2006 which shall not be less than 50% of the revised pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn at the time of his retirement.

(2) The revised pension shall be fixed at minimum 50% of the revised pay as mentioned in para (1) of consolidated pension as calculated above, whichever is higher :

Provided that such Judicial Officer who retired after 1st November, 2000 and prior to 1 st January, 2006 and whose pension has been revised in accordance with the said rules, the full family pension in respect of the family pensioners shall be revised by raising the same by 03.07 times w.e.f. 1st January, 2006 which shall not be less than 30% of the pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn by the Judicial Officer at the time of retirement."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनीष कुमार ठाकुर**, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.